संख्या:-52/2021/108आ0/23-5-21-10(भवन)/2018

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लो0नि0वि0, लखनऊ उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग:-5 **लखनऊ: दिनांक 24 मार्च, 2021**

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-55, पूंजीलेखा के लेखाशीर्षक 4216-01-700-05-0539-24 "लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों के आवासीय भवनों का निर्माण(चालू कार्य)" के अन्तर्गत जनपद बरेली में मुख्य अभियन्ता कार्यालय, बरेली क्षेत्र, लो0नि0वि0, बरेली के कर्मचारियों हेतु टाइप-2 के पहली व दूसरी मंजिल तक के 08 नग आवासों, पहुंच मार्ग व बाउण्ड्रीवाल के निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-739बीजीबी/341बीजीबी/लो0नि0वि0कर्म0/अधि0 आवास/उप0प्र0-पत्र/2020-21, दि0 18-12-2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-3 में उल्लिखित कार्य हेतु उसके सम्मुख स्तम्भ-7 में अंकित धनराशि **रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	कार्य का नाम	योजनावार स्वीकृत धनराशि	आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
						(धनराशि लाख रू0 में)
1	42/2019/92आ0/23-5-19-10(भवन)/2018, दिनांक 31.07.2019	मुख्य अभियन्ता कार्यालय, बरेली क्षेत्र, लो0नि0वि0, बरेली के कर्मचारियों हेतु टाइप-2 के पहली व दूसरी मंजिल तक के 08 नग आवासों, पहुंच मार्ग व बाउण्ड्रीवाल के निर्माण कार्य।	93.41	10.00	83.41	50.00
		योग :-	**93.41**	**10.00**	**83.41**	**50.00**

3- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-55 के अन्तर्गत पूंजीलेखा के लेखाशीर्षक 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-01-सरकारी रिहायशी भवन-700-अन्य आवास-05-निर्माण-अन्य-0539-कर्मचारियों/अधिकारियों के आवासीय भवनों के निर्माण के चालू कार्य-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- कार्यदायी संस्था द्वारा वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24.03.2020 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उक्त तालिका के स्तम्भ-3 में उल्लिखित कार्य हेतु स्तम्भ-2 में वर्णित शासनादेश की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

6- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राजेश प्रताप सिंह
विशेष सचिव।

..../02..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:-52/2021/108आ0(1)/23-5-2021-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी बरेली।
4- विशेष कार्याधिकारी, मा0 उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
8- मुख्य अभियन्ता, बरेली क्षेत्र, लो0नि0वि0, बरेली।
9- अधीक्षण अभियन्ता, बरेली-शाहजहांपुर वृत्त, लो0नि0वि0, बरेली।
10- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बरेली।
11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-8/लो0नि0अनु0-10
12- श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
नीरजा सक्सेना
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।